न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 49/2022

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 27 ए, डवलपड इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई शाखा कार्यालय–21/22, उपरी भूतल, जयपुर इलैक्ट्रोनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रमोद प्रकाश शर्मा।

..... प्रार्थी कंपनी

बनाम

1. श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, निवास पता– रोडा की ढाणी, ग्राम पंचायत अमराबाद दौसा राजस्थान–303510

(ऋणी)

2. श्रीमती संजू देवी पत्नि श्री रामावतार शर्मा, निवास पता– रोडा की ढाणी, ग्राम पंचायत अमराबाद दौसा राजस्थान–303510

(सह ऋणी)

<u>प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002</u>

उपस्थित : श्री नीरज जाट, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से।
श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक: 8.7.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 11,30,000/–(रूपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest** act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:23 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। हमने प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा के स्वामित्व का आवासीय पटटाशुदा मकान जो कि रोडा की ढाणी, ग्राम पंचायत अमराबाद पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका एरिया 170.65 है जो कि थाना रामगढ पचवारा के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:23 IST
Reason: SelfAttested